

24/12/2024

पत्रावली भेजा हुई। वकील उच्चपक्ष
 हाजिर नहीं। पत्रावली तामील में
 लाबित है, तामील पूर्ण नहीं हुई है।
 आज न्यायालय में तीन-तीन आवंटों
 लगवने पर भी वकील पक्षकारान
 न्यायालय में हाजिर नहीं आने पर
 पत्रावली धुआकूमि - अदम्य हाजिरी व
 अदम्य पैरुकी में अंतर्गत 0-9, R-3
 जाते हैं। तहत एतद्वारा खतरा
 ही जाती है। पत्रावली केसल शुमार
 होकर बाद तामील तामील इफ्तार

श्री. कुमर
 सहायक कलेक्टर
 सांभर लोक (जयपुर)